

डिक्री बमुकदमें ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 32/2026

सुमेरप्रताप सिंह पुत्र श्री रमनदीप सिंह आयु 14 वर्ष जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुखवीर कौर पत्नी श्री रमनदीप सिंह जाति
जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

-वादी

बनाम्

1. रमनदीप सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अनायत पुत्री श्री रमनदीप सिंह आयु 17 वर्ष जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया
नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता रमनदीप सिंह पुत्र मदन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा
तहसील संगरिया।
3. तसमीन पुत्री श्री रमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
4. मनदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
5. हरविन्द्र कौर पुत्री श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

सह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड
एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 5 श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट एवं राज पैरोकार
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि
प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 व 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 बी.जी.पी. के खाता सं. 83/3
जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 4/6 हिस्सा अर्थात् 4.7726 है. कृषि भूमि में से वादी को 3.2545 है.
कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 व 5 का नाम कलमजन करने एवं
प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद किया जावे।

निज. नल. मुब्लिक. निल. बाबत्. निल. खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक. अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.2.2026 को जारी किया
गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया